रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2057] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2014/आश्विन 17, 1936
No. 2057] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2014/ASVINA 17, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2601(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में, उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करने के पश्चात्, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद संख्या 1(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(क)	(i) खनिजों का खनन	गैर कोयला खनन पट्टा की बाबत ≥50 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र।	गैर कोयला खनन पट्टा की बाबत <50 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र।	खनिजों के खनन के लिए पांच हेक्टेयर से कम खनन पट्टा क्षेत्र के लिए परियोजना या कार्यकलापों के सिवाय साधारण शर्तें लागू होंगी
		कोयला खनन पट्टा की बाबत >150 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र।	कोयला खनन पट्टा की बाबत >150 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र।	परंतु यह कि पूर्वोक्त अपवाद उस परियोजना या कार्यकलाप के लिए लागू नहीं

				होगा यदि उक्त परियोजना या कार्यकलाप के खनन पट्टा क्षेत्र और विद्यमान प्रचालन कर रही खानों और खनन परियोजनाओं जिन्हें पर्यावरणीय निकासी प्रदान की गई थी और जो ऐसी परियोजना या कार्यकलाप की परिधि से पांच सौ मीटर के भीतर अवस्थित हैं, के क्षेत्र का कुल योग, पांच हेक्टेयर के बराबर या उससे अधिक हैं।
		खनन क्षेत्र पर विचार किए बिना एस्बेसटस खनन।		टिप्पण: (i) खनन पट्टा के नवीकरण के स्तर पर पूर्व पर्यावरण निकासी अपेक्षित है जिसके नवीकरण के लिए नियत तारीख से दो वर्ष पूर्व आवेदन किया जाएगा। परंतु यह कि किसी खनन परियोजना या कार्यकलाप के लिए, जिसने इस अधिसूचना के अधीन पहले ही पर्यावरणीय निकासी अभिप्राप्त कर ली है खनन पट्टे के नवीकरण के समय कोई नवीन पर्यावरण निकासी की अपेक्षा नहीं होगी।
	(ii) राष्ट्रीय पार्कों या अभ्यारण्यों या मूंगा चट्टानों, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली द्रव (कोयला, लिग्नाइट और अन्य अयस्क)पाईप लाइनें	सभी परियोजनाएं		(ii) खनन पूर्वेक्षण को छूट प्रदान की गई है।

[फा.सं. जैड-11013/271/2012-1ए-II(एम)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित की गई :—

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तुबर, 2007 ;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 ;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012 ;
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ;
6 .का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013 ;
8. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
9. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 ; और
10.का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2014

S.O. 2601(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for item 1(a) and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(a)	(i) Mining of minerals.	≥50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease. >150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	<50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease. ≤ 150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	General Conditions shall apply except for project or activity of less than 5 ha of mining lease area: Provided that the above exception shall not apply for project or activity if the sum total of the mining lease area of the said project or activity and that of existing operating mines and mining projects which were accorded environment clearance and are located within 500 metres from the periphery of such project or activity equals or exceeds 5 ha. **Note:** (i) Prior environmental clearance is required at the stage of renewal of mine lease for which an application shall be made up to two years prior to the date due for renewal.

		Asbestos mining irrespective of mining area.		Provided that no fresh environmental clearance shall be required for a mining project or activity at the time of renewal of mining lease, which has already obtained environmental clearance under this notification.
	(ii) Slurry pipelines (coal lignite and other ores) passing through national parks or sanctuaries or coral reefs, ecologically sensitive areas.	All projects.		(ii) Mineral prospecting is exempted. "

[F. No. Z-11013/271/2012-IA-II (M)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:—

1. S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012;
5. S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2559(E), dated the 22nd August, 2013;
7. S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013;
8. S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014;
9. S.O. 637(E), dated the 28th February, 2014; and
10. S.O. 1599(E), dated the 25th June, 2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.